विभाजन वाद संख्या 536/11

दिनांक 14.06.2023

वादी तथा प्रतिवादी 02 व 03 की ओर से हाजिरी दी गयी। अभिलेख प्रतिवादी संख्या 03 द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 02.07.2022 पर आदेश हेतु निर्धारित है।

अभिलेख का अवलोकन किया। प्रतिवादी 03 जितेन्द्र राय की ओर से दिनांक 02.07.2022 को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 18 नियम 16 के तहत आवेदन दाखिल कर निवेदन किया गया है कि प्रस्तुत वाद में उसके द्वारा बयान तहरीर दाखिल किया गया है किन्तु इस वाद में अभी वाद बिन्दु का गठन नहीं हुआ है। आगे आवेदक का कथन है कि इस केस के वादी, प्रतिवादी 02 तथा प्रतिवादी 03 (आवेदक) खास भाई हैं तथा प्रतिवादी 02 और 03 ने सुलह कर लिया है और सुलहनामा दिनांक 18.06.2022 को दाखिल किया गया है। आवेदक का कहना है कि वह बीमार रहता है तथा लकवाग्रस्त है अतः सुलहनामा के बिन्दु पर बतौर स्पेशल विकनेस प्रतिवादी 03 का साक्ष्य होना आवश्यक है। प्रतिवादी ने अपने आवेदन के साथ शपथ पत्र तथा चिकित्सकीय इलाज का पुर्जा दाखिल किया गया।

प्रतिवादी के उपरोक्त आवेदन पर वादी द्वारा दिनांक 03.09.2022 को प्रतिउत्तर दाखिल कर कहा गया कि आवेदक का आवेदन खारिज योग्य है। वादी ने कहा कि प्रतिवादी 03 उपेन्द्र राय को वर्षों पूर्व लकवा की बीमारी हुई थी जिसका सफल इलाज वादी द्वारा कराया गया था तथा इलाज से प्रतिवादी 03 बिलकुल ठीक हो गए हैं। प्रस्तुत वाद में उपस्थिति पूर्ण हो चुकी है तथा नियमानुसार वादी पहले अपना साक्ष्य देने को तैयार है अतः आदेश 18 नियम 16 का कोई भी सिद्धांत आवेदक पर लागू नहीं होता है। अतः प्रतिवादी का आवेदन खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

आवेदक के उक्त आवेदन पर प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गयी।

अभिलेख का अवलोकन किया जिससे प्रतीत होता है कि प्रस्तुत वाद में अभी वाद बिन्दु का गठन नहीं हुआ है। आवेदक द्वारा दाखिल चिकित्सीय पुर्जा को देखने से प्रतीत होता है कि आवेदक बीमार व्यक्ति है तथा उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त जैसा हो गया है आंख नहीं खुल पा रहा है तथा वह चल नहीं पा रहा है। साथ ही वादी द्वारा दिनांक 06.08.2022 को दाखिल एक अन्य प्रतिउत्तर (आवेदन दिनांक 18.06.2022 का प्रतिउत्तर) देकर स्वयं कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 03 का ब्रेन हैमरेज हो चुका है तथा वे लकवाग्रस्त हो चुके हैं तथा उनकी मानसिक स्थिति काफी क्षीण हो चुकी है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में यह न्यायालय यह पाती है कि आवेदक का साक्ष्य तुरन्त लिया जाना आवश्यक है क्योंकि आवेदक बीमार तथा लकवाग्रस्त व्यक्ति है अतः आवेदक का आवेदन आदेश 18 नियम 16 को स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आवेदक का साक्ष्य न्यायालय द्वारा नियुक्त कमिश्नर द्वारा अंकित करने का निर्देश दिया जाता है। आवेदक को निर्देश दिया जाता है कि वह कमिश्नर खर्च के रूप में एक हजार रूपया जमा करें।

दिनांक ..... वास्ते अग्र कार्यवाही।

लेखापित

प्र0अवर न्यायाधीश तृतीय
अरेराज